न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 44/2018
RCMS Case No. 2018/00429

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 प्रेम कृषि प्राईवेट लिमिटेड, पिपलिया कला जरिये डायरेक्टर, पंकज शाह पुत्र पारसराम शाह निवासी पिपलिया कला तहसील रायपुर		1 राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार सोजत

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी0पी0सी0 तथा धारा 11, 12 सी0पी0सी0
सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

उपस्थित :–

1. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक 22/11/2018

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सी0पी0सी0 तथा धारा 11, 12 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का पेश कर अपील की कार्यवाही को रोकने का निवेदन किया। इस पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया अपीलाण्ट द्वारा जिस भूमि के सम्बन्ध में यह अपील प्रस्तुत की है, उसी भूमि के सम्बन्ध में सिलिंग प्रकरण संख्या 100/1994 दिनांक 15.06.1999 को जिला कलक्टर पाली से निर्णित हो चुका है, जिसकी अपील अपीलाण्ट द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की, जो अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित हुई। राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के निर्णय के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें दिनांक 11.03.2004 को अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णय पारित हुआ है। उक्त निर्णय की अपील सरकार की ओर से डी0बी0 में की गई। जो मियाद के बिन्दु पर खारिज़ हुई। डी0बी0 द्वारा पारित निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर प्रकरण पुनः गुणावगुण पर निर्णित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय की वृहद पीठ को प्रतिप्रेषित किया है, जो विचाराधीन है। इसलिए उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में मामला विचाराधीन होने के कारण धारा 10 सी0पी0सी0 के तहत अपील की कार्यवाही रोकी जावे। इस सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा उक्त भूमि से सम्बन्धित निर्णय हो चुके है, जो रेसज्यूडिकेटा के तहत अपीलाण्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार ही नहीं है। अतः अपील खारिज़ करावें, विकल्पेण अपील की कार्यवाही को रोका जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों के अनुक्रम में हस्तगत अपील को दखा जावे,

अति० जिला कलेक्टर, पाली

तो स्थिति यह उत्पन्न होती है कि न्यायालयों द्वारा निर्णय अपीलाण्ट के हक में हुए है, तद्नुसार भूमि राजस्व रेकर्ड में अपीलाण्ट के नाम दर्ज होनी थी, जो नहीं की गई है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया तो स्वयं रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की गई है तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही आरम्भ कर न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों की अवहेलना की है। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट स्वयं यह कथन करते है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण अपील पोषणीय नहीं है। यही तथ्य अधीनस्थ न्यायालय पर भी उतना ही लागू होता है, जितना अपीलीय न्यायालय पर। इसके अतिरिक्त रेस्पोडेन्ट स्वयं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित है, ऐसी स्थिति में उन्हे धारा 91 के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार ही नहीं था। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 एवं 11 हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होती है तथा धारा 12 भी हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होता है। रेस्पोडेन्ट द्वारा न्यायालय को भ्रमित करने की मंशा से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो विधिक प्रावधानों की दुरूपयोग की श्रेणी में परिलक्षित होता है। अतः रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में दो विधिक बिन्दु प्रकट होतें है, यथा – (1) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 से 12 हस्तगत प्रकरण को किस रूप में प्रभावित करती है ? भू0अ0नि0 द्वारा फसल नीलामी हेतु जारी सूचना की अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पोषणीय है अथवा नहीं ? चूंकि उक्त बिन्दु विधिक है, जिनका परीक्षण किया जाना आवश्यक है। प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में जो विधिक स्थिति उत्पन्न होती है, वह इस प्रकार है कि सिविल प्रक्रेया संहिता 1908 की धारा 10 से 12 वादों पर लागु होती है, जबकि न्यायालय हाजा अपीलीय न्यायालय है जिसे वाद को सुनने के अधिकार नहीं है। अपीलो की सुनवाई के अधिकार सिविल प्रकिया 1908 के आदेश 41 में प्रावधित है, जिसमें अपील को रोका जाना अथवा अपीलीय कार्यवाही को स्थगित किये जाने के कोई प्रावधान नहीं है। इस तथ्य का बतौर भूमिधारी रेस्पोडेन्ट को पूर्ण ज्ञान होने के बावजूद उनके द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो मात्र प्रकरण में विधिक पेचिदगियां कारित करने की मंशा से किया जाना प्रतीत होता है। हम वकील अपीलाण्ट के इस तथ्य से पूर्णतः सहमत है कि यदि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों एवं विचाराधीन प्रकरण से न्यायालय हाजा, जो अपीलीय न्यायालय की भूमिका में प्रभावित होता है, तो परीक्षण न्यायालय के रूप में अधीनस्थ न्यायालय, जो स्वयं रेस्पोडेन्ट के रूप में हस्तगत अपील में पक्षकार संयोजित है, प्रबल रूप से प्रभावित होतें है। इस अनुरूप तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही सम्पूर्ण कार्यवाही ही विधिक परीक्षण की मोहताज़ होती है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रकरण को उलझाने की दृष्टि से विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय को निर्देश दिये जाने सम्बन्धित चेष्टा की है, जो न्यायोचित नहीं है। समस्त तथ्यों की रेस्पोडेन्ट को भली–भांति जानकारी होने के बावजूद उनके द्वारा विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग किया जाकर जानबूझकर प्रकरण में वे विधिक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए, जो अपीलीय न्यायालय में लागू नहीं होते है, उन प्रार्थना पत्रों के सहारे प्रकरण को विलम्बित करते हुए कानूनी पेचिगगियों में उलझाने का कार्य किया है, जिसके लिए रेस्पोडेन्ट स्वयं जिम्मेदार है। इस हेतु रेस्पोडेन्ट तहसीलदार सोजत के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं (नियन्त्रण, अपील एवं वर्गीकरण) नियम 1958 के तहत

अति० जिला कलेक्टर, पाली

अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रभारी अधिकारी (संस्थापन) शाखा कलेक्ट्रेट, पाली को आदेश दिये जाते है।

अब प्रकरण का द्वितीय विधिक बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करने पर यह स्थिति उत्पन्न होती है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 में प्रथम अपील के प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधित किया कि –

"**75. प्रथम अपील** – सिवाय, जबकि इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित किया गया हो, प्रथम अपील –

(क) भू–प्रबन्धक अथवा भूमि अभिलेख से असम्बन्धित मामले में तहसीलदारों द्वारा दी गई मूल आज्ञा से कलक्टर को,"

इस प्रकार **तहसीलदार** द्वारा पारित आदेश की सुनवाई का अधिकार निर्विवादित रूप से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत न्यायालय हाजा को है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में जिस आदेश को प्रश्नगत करते हुए अपील प्रस्तुत की है, वह भू0अ0नि0 द्वारा जारी नीलामी इश्तिहार की अपील प्रस्तुत की है, जिसकी सुनवाई के क्षैत्राधिकार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 की परिधी में नहीं है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सन्दर्भित धारा के तहत पोषणीय नहीं पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा सी0पी0सी0 तथा धारा 11, 12 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है एवं साथ ही अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील भी सन्दर्भित धारा के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत एवं प्रभारी अधिकारी (संस्थापन शाखा) कलेक्ट्रेट, पाली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/11/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली